

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***मेंहदावल पुलिस द्वारा* 01 वारण्टी नाम पता 01. हरेन्द्र दास पुत्र रामलाल मौर्य निवासी टिकरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, का0 अमेरिका प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● ***थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा विवाद/मारपीट में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत बरगदवा से इवेंट सं0 **40270** द्वारा महिला कालर ने मो0नं0 9984515726 से विवाद/मारपीट में 01 महिला (रेनु देवी पत्नी बब्लू सोनी निवासी ग्राम बरगदवा अक्वल थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने सम्बन्ध में सूचना दियाए सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल महिला को ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 अभिषेक मिश्रा, आ0 विशाल यादव, हो0चा0 मो0 रफीक।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 71 वाहनों से 90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 71 वाहनों से 90,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।